

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

जमिलेख चाह रोड़गा- २५९/२०-२१००

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
३१/९/२०२०	<p>याद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जौच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के आपाक-२०७४/रा०, दिनांक-१३.०५.२०१६ राहपति- श्री अनुज मुख्यमंत्री, निदेशक, भू-अर्जन-सह-प्रिशेष संघिय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-३-खा०ग०नियि-११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक-०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिषद संख्या-९१४/रा०, दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजलज्ञा खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जौच प्रभ्रम की गयी। जौच के काम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अवृत्ति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित दिवरणी की भूमि -</p> <p>मौजा- वरमापाटा थाना नं-८० खाता संख्या-५६ प्लॉट संख्या- ४५ रक्का- ४०५१६ एकड़ की भूमि जो गैरमजलज्ञा खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-॥ के जिल्हे संख्या- के पृष्ठ संख्या- पर जमाबंदी रैयत कालीचरण भाँड़ीपुरा स्थिति लाइन के नाम से कायम है।</p> <p>इसका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जौचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विलक्षण कायम जमाबंदी को संदेश प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>इसका कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जौच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध शोषण बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सदा हुक्मनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उपर्युक्त निजी लाभ एवं राज्य को क्षति भारीत करता है।</p> <p>प्रथम पृष्ठा उपर्युक्त से स्वष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सुनित जमाबंदी अदैव प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जौच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संदेशित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संदेशित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की नांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि यो नहीं उस जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद करने देतु अनुशस्ति किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- १९/९/२०२० को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">०९/९/२०२०</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

दिनांक

19/9/2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

19/9/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

पाद अभिलेख संख्या—259/20-21(II)/2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act, 1950)

सूचना

पुनाम् कालीचरण मांडी

पिता सतील मांडी

सनद वरमास्या

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा—कर्मस्या थाना नं०—७०
खाता नं०—४६ खेसरा नं०—४०५
रकबा—३०४/६ से संबंधित आपके नाम से ह० नं०—।। के पंजी II भाग
के पृष्ठ पर दर्ज जमावंदी प्रथम दृष्ट्या राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम
से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक—19/९/2020 को समय—11.00 वजे पूर्वाहन
में उक्त भूमि का रिटर्न—I भूमि वन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमींदार रसीदों फार्म ड एंव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि
पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना
पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
राहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज
जमावंदी के संबंध में युक्ति—युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

(6) १९/१०/२०
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

तिथि :—

रथान :—